(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3320/तीन–2013 विरूद्व आदेश दिनांक 14.05.2013 – पारित – तहसीलदार हुजूर जिला रीवा – प्रकरण कमांक 231 अ 74/2012–13

विजय कुमार श्रीवास्तव पुत्र महावीरप्रसाद
निवासी तरहटी तहसील हुजूर जिला रीवा ———आवेदक

विरूध्द

1– हरिशरण श्रीवास्तव
2– रघुवीरशरण श्रीवास्तव
दोनों पुत्रगण रामविहारी लाल
निवासी एम.आई.जी.22 दीनदयालधाम
कालोनी पडरा रीवा मध्य प्रदेश
3– विनय कुमार श्रीवास्तव पुत्र महावीरप्रसाद
निवासी बोदावाग आई.टी.आफिर के सामने
रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा ———अनावेदकगण

आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव
अनावेदकगण के अभिभाषक श्री ओ0पी0अग्रवाल

आदेश

(आज दिनांक 16 6– 2014 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार हुजूर जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 231/अ–74/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 14–5–13 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है अनावेदकगण ने तहसीलदार हुजूर के समक्ष आवेदन दिनांक 7–5–13 प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम अटरिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 411/1 रकबा 0.405 हैक्टर हरिचरण एवं रघुवीरशरण की तथा सर्वे कमांक 411/4 रकबा 0.093 हैक्टर भूमि (आगे जिन्हें वादोक्त भूमि अंकित किया गया है) विनय कुमार की है जो जर्य बसीयत से प्राप्त है। भूमि का बटवारा एवं

बटांकन होने के बाद नक्शा में तरमीम किया जाना त्रृटिवश छूट गया है इसलिये नक्शा तरमीम किया जावे। तहसीलदार हुजूर ने प्रकरण कमांक 231 अ 74/12-13 पंजीबद्व किया तथा पटवारी हलका नंबर 16 से मौके की स्थिति अनुसार प्रतिवेदन प्राप्त कर आदेश दिनांक 14-5-13 पारित किया एंव वादोक्त भूमि का नक्शा तरमीम कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 231 अ 74/12-13 में पारित आदेश दिनांक 14-5-13 से भूमि सर्वे कमांक 411/1 एंव 411/4 के रकबे का नक्शा तरमीम किया है, जबकि यह भूमि स्व.महावीर प्रसाद सिंन्हा व्दारा किये गये विभाजन एंव याददास्त पत्र दिनांक 27-1-89 तथा बसीयतनामा लेख दिनांक 16-4-06 के कारण तहसीलदार का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। जिस पक्षकार को जो भूमि विभाजन में दी गई है नजरी नक्शा अनुसार दी गई है किंतु नक्शा तरमीम करते समय स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है और न ही बटवारा अनुसार नजरी नक्शा को पढ़ा व देखा गया है, इसलिये निगरानी ग्राह्य की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे। अनावेदक के अभिभाषक ने तहसीलदार हुजूर व्दारा की गई कार्यवाही को उचित ठहराते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव निगरानी मेमो के तथ्यों तथा तहसीलदार के आदेश दिनांक 14.5.13 से परिलक्षित है कि तहसीलदार हुजूर ने ग्राम अटरिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 411/1 एंव 411/2 के रकबे का नक्शा तरमीम करने के आदेश दिये हैं।

प्रकरण में आये तथ्यों पर मनन करने पर विचार योग्य बिन्दु यह है कि क्या नक्शा तरमीम करने वावत् तहसीलदार व्दारा पारित आदेश निगरानी योग्य है ?

1. म0प्र0भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 70 – सर्वेक्षण संख्याकों को पुर्नकमांकित या उप विभाजित करने की शक्ति – टिप्पणी (आ) – बंदोवस्त अधिकारी की शक्तियॉ प्रदत्त – बंदोवस्त अवधि के भीतर इस धारा के अधीन बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग कलेक्टर कर सकेंगें (धारा 90 देखें) कलेक्टर की ये शक्तियॉ तहसीलदारों को प्रदान की गई है। धारा 24 के अंतर्गत डिप्पणी इ (90) देखें।
   संहिता की धारा 71 में नियम 3 इस प्रकार है –
2. बंदोवस्त अधिकारी धारा 70 (अब 67) के अधीन अधिसूचना व्दारा आच्छादित ऐसे गॉवों का परिमाप या पुर्नमापन या नक्शों की शुद्वि कार्यान्वित करेगा जिनमें ऐसे परिमाप , पुर्नमापन या नक्शों की शुद्वि की आवश्यकता हो।

उक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने संहिता की धारा 70 सहपठित 67 एंव 68 (आ) एंव धारा 24 की टिप्पणी ई (9) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग कर आदेश 14.5.13 पारित किया है जो अपील योग्य आदेश है और आवेदक के पास तहसीलदार के आदेश के विरूद्व अपील का उपचार प्राप्त है। आवेदक तद्नुसार अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी अप्रचलयोग्य पाने से निरस्त की जाती है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर